**90. उपयोग एवं अधिभोग के लिए नुकसानी हेतु वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी, संकेत वर्मा, मृतक की विल का निष्पादक निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है –**

1. यह कि प्रतिवादी ने तारीख ................... से तारीख ................... तक कथित संकेत वर्मा की अनुज्ञा द्वारा भवन सं......... का उपभोग किया और करार कथित परिसर के उपयोग के लिए कथित परिसरों के उपयोग के लिए, संदाय के बारे में किया गया।
2. यह कि कथित कालावधि के लिए कथित परिसरों का उपयोग युक्तियुक्त रूप से .................. रुपये के योग्य थी।
3. यह कि प्रतिवादी ने धन का संदाय नहीं किया है।
4. यह कि वाद हेतुक तारीख ...................... को पैदा हुआ जब यथा परोक्त उपयोग एवं अधिभोग के लिए धन की मांग करने वाली वादी की लिखित नोटिस की प्रतिवादी पर तामील करायी गयी, और अंतिम रूप से तारीख ............... को जब वादी ने रकम के लिए संदाय करने के अपने दायित्व से इन्कार करने वाला प्रतिवादी का उत्तर प्राप्त किया। इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता है।
5. यह कि धनीय अधिकारिता के प्रयोजनार्थ वाद का मूल्यांकन ...................... रुपये है और न्यायालय फीस का उस पर संदाय किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोषः**

संकेत वर्मा का निष्पादक की हैसियत से वादी ...................... % वार्षिक दर पर ब्याज के साथ प्रतिवादी से ...................... रुपये तथा वाद के खर्च का संदाय का दावा करता है।

 वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

 वादी